न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 160/2017

निर्णय दिनांक:– 27/02/2018

1. श्रवण पुत्र श्री बालूराम
2. प्रेमचन्द पुत्र श्री बालूराम

जातियान जाट निवासीयान ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र श्री बालूराम जाति जाट निवासी केरिया तहसील फागी जिला जयपुर।
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा फागी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर ।
4. सैण्ट्रल कॉ आपेरटिव बैक शाखा फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री रमेश चन्द पारीक वकील वादीगण
श्री शिवनारायण देवन्दा वकील प्रतिवादी सं0 1

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

–:: घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 27.02.2018

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 15 के ख0न0 52 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 56/1 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 56/4 रकबा 14 बीघा, ख0न0 77/2 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 81 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 84/1 रकबा 3 बीघा, ख0न0 138/2 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 380/2 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 385 रकबा 19 बिस्वा, ख0न0 386 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 387 रकबा 15 बिस्वा, ख0न0 394/2 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, कुल किता 12 कुल रकबा 37 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

लगातार...............2

प्रतिवादी अपने हिस्से को बाहमी बंटवारा, चूनडीबट कर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। इस प्रकार खाता संख्या 49 के आराजी ख0न0 183/2 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी वादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 64 के आराजी खसरा नम्बर 557/143 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी जो वादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 118 के ख0न0 329 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर जो कि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 119 के ख0न0 143/520 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर जो कि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से को बाहमी बंटवारा, चूनडीबट कर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीएक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। तथा आराजी भूमि वर्णित मद नम्बर 1 व 2 वाद पत्र मौरूसी मुश्तर्का पुश्तैनी एवं सयुक्त परिवार में रहते हुए क्रय कर बनाई हुई सम्पति रही है। उक्त भूमि पैरा संख्या 1 वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 जब नाबालिग था उस समय जरिये वली श्री बालू क्रय की थी। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होकर श्री

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार..................3

बालूराम के वारिसान है तथा आराजी भूमि उपरोक्त भी मुश्तर्का मौरूसी पुश्तैनी एवं परिवार की संयुक्त आय से पुश्तैनी आराजी है। आराजी भूमि पश्चात क्रय नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 29.12.1976 प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई जिस पर आराजी विभाजन डिक्री प्रतिवादी संख्या 01 अपने पिता बालूराम के जीवन काल से बाहमी बटवारा कर मौके पर बराबर बराबर 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। वाद पत्र के मद नम्बर 1 व 2 में संयुक्त हिन्दू परिवार के सभी सदस्यो का जन्मजात हक व अधिकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत है। जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा छीतर की पुश्तैनी आराजी है। आराजी वर्णित मद नम्बर 01 व 2 वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लगी हुई है जिसमें वादीगण के नाम कम भूमि लगी हुई जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अधिक भूमि लगी हुई है। जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र के मद न0 01 व 2 में वर्णित आराजी भूमि पर मौके पर बराबर बराबर 1/3, 1/3 बाहमी बटॅवारा कर काबिज काश्त है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 को समाज व भाई बन्धो के समक्ष बैठाकर अनेको बार कम अधिक भूमि को आपस में बराबर बराबर लगाने हेतु कहा जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 ने समाज व भाई बन्धो के समक्ष वादीगण को आश्वस्त किया कि आराजी भूमि पर बराबर बराबर काबिज काश्त है। जब भी समय मिलेगा आराजी नाम करवा देगा। वादी गण प्रतिवादी संख्या 01 के इसी आश्वासन मे रहकर आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अभी हाल ही दिनांक 25.10.2017 को जग वादीगण अपनी बाहामी बटवारे एवं हिस्से में भूमि में उन्यालू बोई हुई फसल की देखभाल कर रहे थे कि प्रतिवादी संख्या 01 अपने साथ अजनबी व्यक्तियो को लेकर मौके पर आया और वादीगण को आराजी से बेदखल करने की धमकी दी। प्रतिवादी संख्या 3 भूमि धारक होने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के यहॉ आराजी भूमि रहन होने के कारण इन्हे

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला—जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार................4

मुकदमें हाजा में तरतीबी पक्षकार कायम किया गया है। जिनके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाही गई है। वादी को वाद कारण दिनांक 25.10.2017 को तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपने बाहामी बँटवारे एवं हिस्से में आई भूमि में उन्यालू बोई हुई फसल की देखभाल कर रहे थे कि प्रतिवादी संख्या 01 अपने साथ अजनबी व्यक्तियों को लेकर मौके पर आया और वादीगण को आराजी भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। और फसल को अपने कब्जे काश्त में ले लेने की ऐलानिया धमकी दी कि तथा उक्त आराजी भूमि का बैचान साथ आये लोगो को करने तथा कहा कि तुम्हारा इस आराजी से कोंई सम्बन्ध व सरोकार नही है। और वादीगण को आराजी से भूमि से बेदखल करने लगे, तब से वादीगण को वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। जो वादीगण उत्पन्न होने वाद कारण से अन्दर मियाद पेश है। वाद पत्र को सुनने एवं निस्तारण करने का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 नें स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तथा अपने राजीनामा के तथ्यो में बताया की खाता संख्या 15 के ख0न0 52 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 56/1 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 56/4 रकबा 14 बीघा, ख0न0 77/2 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 81 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 84/1 रकबा 3 बीघा, ख0न0 138/2 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 380/2 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 385 रकबा 19 बिस्वा, ख0न0 386 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 387 रकबा 15 बिस्वा, ख0न0 394/2 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, कुल किता 12 कुल रकबा 37 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार...............5

हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा रहेगा। इस प्रकार खाता संख्या 49 के आराजी ख0न0 183/2 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी वादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 64 के आराजी खसरा नम्बर 557/143 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी जो वादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 118 के ख0न0 329 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर जो कि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 119 के ख0न0 143/520 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर जो कि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा रहेगा। उक्त राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर पक्षकारान ने सहमति जताई। साक्ष्य वादी हेतु वादी संख्या 01 ने स्वयं व सीताराम पुत्र भूरा, चतुर्भुज पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी ग्राम केरिया तहसील फागी के शपंथ पेश किया। जो शामिल मिसल किये गये तथा अपने शपथ पत्र में बताया की वाद पत्र में वर्णित आराजी का मै पडौसी काश्तकार हूॅ तथा उपरोक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 को बराबर – बराबर काबिज काश्त देखते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी आपस मे सगें भाई है तथा श्री बालूराम के पुत्र है उपरोक्त भूमि इनकी पुश्तैनी भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार................6

बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा बताया की उक्त वाद पत्र में पूर्व में दिनांक 30.11.2017 को पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोंकन करने पर पाया की वादीगण ने वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है व पक्षकारान ने वाद को मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की। मुताबिक जामाबन्दी सम्वत 2073–2076 वाके ग्राम केरिया खाता संख्या 15 कानाराम पुत्र बालूराम कौम जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा उक्तानुसार खाता संख्या 49 व 64 प्रेमचन्द पुत्र बालूराम कौम जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। व खाता संख्या 118, 119 श्रवण पुत्र बालू कौम जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर वादी का वाद डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश में हम वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 15 के ख0न0 52 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 56/1 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 56/4 रकबा 14 बीघा, ख0न0 77/2 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 81 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 84/1 रकबा 3 बीघा, ख0न0 138/2 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 380/2 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 385 रकबा 19 बिस्वा, ख0न0 386 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 387 रकबा 15 बिस्वा, ख0न0

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार................7

394/2 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, कुल किता 12 कुल रकबा 37 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर व खाता संख्या 49 के आराजी ख0न0 183/2 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर व खाता संख्या 64 के आराजी खसरा नम्बर 557/143 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर, खाता संख्या 118 के ख0न0 329 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर, खाता संख्या 119 के ख0न0 143/520 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर आराजी मे वादी संख्या 01 को 1/3 हिस्से, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से, व प्रतिवादी संख्या 01 को 1/3 हिस्सें का खातेदार काश्त घोषित किया जाता है। तथा शेष बैंक इन्द्राज यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

श्रवण वगै0 बनाम कानाराम वगै0
मु0न0– 160/2017
निर्णय दिनांक:– 27.02.2018

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

श्रवण पुत्र श्री बालूराम जाति जाट निवासी केरिया तहसील फागी जिला जयपुर वगै0।

बनाम

कानाराम पुत्र श्री बालूराम जाति जाट निवासी केरिया तहसील फागी जिला जयपुर वगै0।

::– वाद घोषणा व स्थाई . ::–

मुकदमा नं0 – 160/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 15 के ख0न0 52 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 56/1 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 56/4 रकबा 14 बीघा, ख0न0 77/2 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 81 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 84/1 रकबा 3 बीघा, ख0न0 138/2 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 380/2 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 385 रकबा 19 बिस्वा, ख0न0 386 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 387 रकबा 15 बिस्वा, ख0न0 394/2 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, कुल किता 12 कुल रकबा 37 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर व खाता संख्या 49 के आराजी ख0न0 183/2 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर व खाता संख्या 64 के आराजी खसरा नम्बर 557/143 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर, खाता संख्या 118 के ख0न0 329 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर, खाता संख्या 119 के ख0न0 143/520 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर आराजी मे वादी संख्या 01 को 1/3 हिस्से, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से, व प्रतिवादी संख्या 01 को 1/3 हिस्सें का खातेदार काश्त घोषित किया जाता है। तथा शेष बैंक इन्द्राज यथावत रहेगा।

निज......................मुबलिग...बाबत...
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह...फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.02.2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
दस्तखत.....फागी (जयपुर)

ओहदा...................

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	NIL		फीस कमीश्नर	NIL	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)